न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीनअधिकारी :—सुभाषचन्द आर.ए.एस.

181 / 2012
...एमएरा : 2012 / 20115

1. चन्द्रकला पत्नी स्व. श्री विजयसिहं जाति जाट निवासी भादंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0
2. रचना सन्तान स्व. श्री विजयसिहं जाति जाट निवासी भादवावाला जरिए कुदरती वली चन्द्रकला पत्नी श्री विजयसिहं जाति जाट निवासी भादंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगानगर राज.।
3. रचना (रिनू) सन्तान स्व. श्री विजयसिहं जाति जाट निवासी भादवावाला जरिए कुदरती वली चन्द्रकला पत्नी श्री विजयसिहं जाति जाट निवासी भादंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगानगर राज.।

—वादीगण

बनाम

1. हेतराम पुत्र जगमाल राम जाति जाट निवासी भादंवावाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।
2. बजरंग पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी भादंवावाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53—88—92ए—53—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—

रजू दिनांक:—06.05.2009

1. श्री सुशील कुमार वकील वादीनी।
2. श्री राजाराम पुनिया अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1—2
3. श्री अनिल बिश्नोई प्रति.सं. 1—2

—: निर्णय :—

दिनांक : 29.07.2024

01. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि जगमाल (मतृक) का पुत्र हेतराम, विजयसिंह (मतृक) एवं बजरंग हेतराम के पुत्र है मृतक विजयसिंह के चन्द्रकला पत्नी, रचना और रिनू पुत्री जायज वारिस है। वादिनी सं. 1 के दादा ससुर तथा वादीगण स. 2 व 3 के पड़दादा जगमालराम पुत्र श्री इंशरराम के नाम चक 79 आरबीबी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 26 पं.नं. 216 / 277 के कि.नं. 1 में .228 है., 2 ता 9 सालम—सालम, 10 / .228, 11 / .228, 12 सालम, 13 / .126 है. नहरी कुल तादादी 3.087 है. नहरी तथा मु.नं. 31 पं.नं. 221 / 277 के कि.नं. 5 सालम, 6 / 126, इस प्रकार .379 है. कुल तादादी 3.466 है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि थी। इस भूमि के अलावा जगमालराम के नाम चक 79 आरबीबी तहसील रायसिंहनगर मु.नं. 27 पं.नं. 217 / 277 के कि.नं. 1 ता 25 के 6.325 है. नहरी टीसी आवंटन था। लेकिन वादीगण के ससुर व पड़दादा जगमालराम की मृत्यु के बाद यह भूमि प्रति. सं. 1 के नाम से पुख्ता आवंटन हुई तथा भूमि आवंटन होने के बाद इस भूमि को वादीगण के पति व पिता विजयसिंह तथा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 संयुक्त रूप से काश्त करते रहे तथा इस तमाम उपरोक्त भूमि की आय से इस मु.नं. 27 की तमाम किश्त जमा करवा कर सनद खातेदारी प्रतिवादी सं.1 के नाम से प्राप्त हुई। उपरोक्त भूमि में से जगमालराम द्वारा प्रतिवादी सं.1की सहमति से प्रति. स.1 [illegible] कता के लिए चक 79 आरबीबी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 26 पं.नं. 216 / 277 [illegible] रकबा का बेचान कर दिया तथा अब वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक [illegible] आरबीबी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 26 पं.नं. 216 / 277 के कि.नं. [illegible] 8—9 सालम [illegible] 10 / .228, 11 / .228, 12 [illegible] कुल तादादी 1.594 है. [illegible] मु.नं. 27 पं.नं. 217 / 277 में 6.325 है. नहरी म[illegible] खाला तथा मु.नं. 31 पं.नं. 221 / 277 के कि.नं. 5 सालम 6 / 1 में .126 है. कुल 0.379 है. नहरी कुल तादादी 8.173 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.08.22 12:28:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

नहरी मय खाला खातेदारी राजस्व रिकार्ड में है। प्रति सं. 1 को समस्त भूमि पिता जगमालराम से मिली है जो हिन्दू खानदान की कोपासरी सम्पति है जिसमें वादीगण के पति व पिता विजयसिंह तथा प्रति. सं. 1 व 2 का बराबर 1/3, 1/3 हिस्सा बनता है तथा 1/3 हिस्सा के अनुसार वादीगण के पति व पिता विजयसिंह का कुल भूमि में 2.724 है. नहरी मय खाला बनता है जिसको हम वादीगण अपने आपको खातेदार घोषित करवाकर भूमि की किस्म के अनुसार विभाजन करवाने के विधिक रूप अधिकारी है। वादीगण के पति व पिता विजयसिंह का 21.06.2009 को देहान्त हो चुका है जिसके हम वादीगण विधिक उतराधिकारी है तथा मृतक विजयसिंह को मिलने वाली 1/3 हिस्सा की भूमि तादादी 2.724 है. नहरी का अपने आपको खातेदार घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में इस भूमि का अमल दरामद कर भूमि की किस्म के अनुसार भूमि का विभाजन करवाकर पाने के अधिकारी है । वादीगण के पति व पिता विजय सिंह का देहान्त 21.6.2009 को हो चुका है। वादीगण विधिक उत्तराधिकारी है। तथा मृतक विजयसिहं का 1/3 हिस्सा की भूमि 2.724 है. नहरी का अपने आप को खातेदार घोषित करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में इस भूमि का अमल –दरामद करवा कर भूमि की किस्म के अनुसार भूमि विभाजन करवा कर पाने के अधिकारी है। वादीगण के पिता व पति की मृत्यु के पश्चात् प्रति. सं.1–2 के मन बेईमान हो चुका है तथा प्रतिवादी सं 2 प्रतिवादी सं. 1 को अपने बहकाया में लेकर तमाम भूमि अपने नाम करवाने की फिराक में है या बेचान कर अन्यत्र भूमि प्रतिवादी सं. 2 खरीद करना चाहता है। प्रतिवादी सं. 1 वादीगण को एलानिया धमकी देता है कि वह किसी भी सुरत में वादीगण को भूमि नहीं देगा। तमाम भूमि प्रतिवादी सं. 2 को बेचान कर देगा। इसके लिए वादीगण ने अपने मौतबिर व्यक्तियों को साथ लेकर प्रतिवादीगण से बमुकाम भादवावाला में दिनांक 29.10.2012 को मिली तथा कहा कि तमाम हिन्दु खानदान की कोपसरी सम्पति है जिसमें वादीगण के पति व पिता का 1/3 हिस्सा है । अपना हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करवा कर भूमि की किस्म के अनुसार विभाजन करवा देवे तो पहले तो कहा कि करवा देगे लेकिन जब पंचायज ने लिखा पढ़ी करने के लिए कहा तो साफ तौर से इन्कार कर दिया बस यही तारीख बिनाय मुखास्मतवाद है तथा बिनाय दावा वादीगण को पैतृक सम्पति होने के बाद उनके पति को तथा उनकी मृत्यु के बाद हम वादीगण को प्राप्त है। अगर प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो हम वादीगण के हक व अधिकारों का हनन होगा तथा उससे होने वाले तमाम नुकशान का कोई मुल्यांकन नहीं होगा। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 3 तहसीलदार भूमि मालिक होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

02\. अतः वादीगण का वाद पत्र खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि चक 79 आर बी बी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 26 पं.नं. 216/277 के 1.594 है. नहरी , तथा मु.नं. 27 पं.नं. 217/277 में 6.325 है. नहरी मय खाला तथा मु.नं. 31 पं.नं. 221/277 के 0.379 है. नहरी कुल तादादी 8.174 है. नहरी मय खाला हिन्दू खानदान की संयुक्त भूमि मानी जाकर वादीगण के पति व पिता विजयसिहं तथा प्रतिवादी सं. 1 –2 का बहिस्सा बराबर 1/3, 1/3 हिस्सा माना जाकर विजयसिहं के 1/3 हिस्सा तादादी 2.724 है. नहरी का वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री पारित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद किये जाने के आदेश प्रतिवादी सं. 3 को दिया जावे। उक्त भूमि किस्म के अनुसार वादीगण का 1/3 हिस्सा का विभाजन किया जाकर विभाजन के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि उनके हिस्सा व भूमि किस्म के अनुसार विभाजन न ... है कोई भू भाग किसी भी तरह रहन बैय तथा मुन्तकिल ... खर्चा वाद दिलाया जावे।

03\. वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत ... प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 2 की ओर से श्री राजाराम पूनिया व श्री अनिल बिश्नोई अधिवक्ता हाजिर आये। जबाव दावा प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 22.10.19 को मय दस्तावेज सूची के प्रस्तुत किया। अपने जबाव दावा में वाद–पत्र में अंकित तथ्यों का विरोध प्रकट करते हुये खारिज करने हेतु निवेदन किया हैं। प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.08.22 12:28:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

सं. 3 ने जबाव दावा प्रस्तुत किया। अपने जबाव दावा में कोई विशेष प्रकट नहीं किया। प्रतिवादी सं. 2 को जबाव दावा प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिये गये। जबाव दावा प्रस्तुत न करने पर जबाव दावा प्रतिवादी सं. 2 बन्द किया गया। प्रार्थीगण चन्द्रकला वगैरा (वादीगण) ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया। जबाव प्रा.पत्र अप्रार्थीगण ने प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों को सुन उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 16.08.2017 को खारिज किया गया। प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई कि :–

1. आया कि वादीनी सं. 1 के दादा सुसर तथा वादीगण सं. 2 व 3 के पड़दादा जगमालराम पुत्र ईसरराम के नाम चक 79 आर बी बी तहसील रायसिंहनगर का मु. न. 26 प.न. 216/277 में 1.594है. नहरी व मु.न. 27 प.न. 217/277 में 6.325है. नहरी मय खाला वा मु.न. 31 प.न. 221/277 में 379 है. नहरी कुल तादादी 8.174 है. नहरी खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद है ? – वादीनीगण
2. आया कि उक्त भूमि वादीगण की हिन्दूखानदान की संयुक्त भूमि मानी जाकर वादीगण के पति व पिता विजयसिहं का 1/3 हिस्सा माना जाकर उसे हिस्से में से वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है ? – वादीनीगण
3. आया कि उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 की स्वःअर्जित भूमि है । वादीगण का हक व हिस्सा नहीं बनता है ? –प्रतिवादी
4. आया कि वादीगण के पिता व पति श्री विजयसिहं पूर्व में अपना हक हिस्सा प्राप्त कर चुका है ? –प्रतिवादी
5. आया कि वादीगण अपना हक व हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी नहीं है। वाद पत्र खारिज किया जावे ? –प्रतिवादी
6. अनुतोष ?

4. वादीगण ने अपने दस्तावेज साक्ष्य में वाके चक 79 आर बी बी की जमाबन्दी सम्वत 2068–71 के खाता नं. 119/89 प्रर्दश –1 ,भू प्रबन्ध विभाग खतोनी सं. 58/13 सम्वत् 2037–2046 प्रर्दश–2 ,पर्चा लगान भू प्रबन्ध विभाग की पर्चा लगान प्रर्दश–3 , मृत्यु प्रमाण –पत्र विजयसिहं दिनांक 6.7.09 , राशन कार्ड सं. 28432 की फोटो प्रति प्रस्तुत की है।

5. प्रतिवादीगण ने अपने दस्तावेज साक्ष्य में इन्तकाल सं. 71/13 प्रर्दश –5 ए,तमलीकनामा दिनांक 29.9.54 प्रर्दश–6 ए,बैयनामा दिनांक 18.7.90 देवकरण बनाम हेतराम प्रर्दश–7ए ,तबादलानामा दिनांक 26.8.2006 प्रर्दश–8 ए ,बटवारानामां प्रर्दश–9 ए , व तहसीलदार रायसिहंनगर के आदेश दिनांक 21.8.16 व ठेकानामा दिनांक 12.11.12 की चित्रप्रति प्रस्तुत की है।

6. वकील वादीगण ने अपने तहरीर साक्ष्य में वादिनी चन्द्रकला पत्नि श्री विजयसिहं , राजाराम पुत्र श्री सरदारराम ,शेलेन्दर कुमार पुत्र श्री लिच्छी राम के ब्यान करवाये । अपने ब्यानो में उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों एग्जीजिट करवाये।

वकील प्रतिवादीगण ने अपने तहरीर साक्ष्य में स्वयं हेतराम पुत्र श्री जगमालराम के ब्यान करवाये। उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को अपने ब्यानों एग्जीबिट करवाये।

7. बहस पक्षकारान सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में अपने द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वाद–पत्र वादिनी डिक्री किया जाने हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में उनके द्वारा प्रस्तुत जबावदावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये वादीगण का वाद–पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया। हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उ[illegible] किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन क[illegible] हुए [illegible]त विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तन[illegible] हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानु[illegible]

तनकी संख्या (1) आया कि वा[illegible] सं. 2 व 3 के पड़दादा जगमालराम पुत्र ईस[illegible] बी तहसील रायसिंहनगर का मु.न. 26 प.न. 216/277 में 1.594है. नहरी व [illegible] 27 प.न. 217/277 के 6. 325है. नहरी मय खाला वा मु.न. 31 प.न. 221/277 में .379 है. नहरी कुल तादादी 8.174 है. नहरी खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद है ?

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.08.22 12:28:58 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

उक्त विवाधक को साबित करने के भार वादीगण पर था वादीगण /प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार मु.नं. 26 की 1.594 है मु.नं. 27 की 6.325 है मु.नं. 31 की 0.379 है. कुल तादादी 8.174 है भूमि में से मु.नं. 10 की 4 बीघा भूमि कि.नं. 8/1 13/1, 18/1, 21/1 कुल 1.012 है हेतुराम द्वारा देवकरण पुत्र मोतीराम से दिनांक 18.07.1990 जरिये बैयनामा अर्जित की है यह भूमि हेतराम की स्वअर्जित सम्पति की श्रेणी में आती है अतः 8.174 की जगह 7.162 है. भूमि जददी जयदादक की श्रेणी में आती है यह तनकी 7.162 है. हद तक बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है

तनकी संख्या (2) आया कि उक्त भूमि वादीगण की हिन्दूखानदान की संयुक्त भूमि मानी जाकर वादीगण के पति व पिता विजयसिहं का 1/3 हिस्सा माना जाकर उसे हिस्से में से वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है ?

उक्त विवाधक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण पर था विवादित भूमि में से वादीगण द्वारा 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषित करवाने का निवेदन किया है लेकिन प्रस्तुत दस्तावेज, साक्ष्य आदि से यह प्रमाणित है कि हेतराम क दो लड़के विजयसिंह व बजरंग एवं एक लड़की सावित्री थी कुल तीन वारिस थे जबकि वादीगण द्वारा विजयसिंह व बजरंग को ही वारिस बताया है वादीगण इस भूमि में 1/3 हिस्से की बजाय 1/4 हिस्से की खातेदारी घोंषणा करवाने के अधिकारी है कुल 7.162 है भूमि में से 1/4 हिस्सा 1.790 है. भूमि के वादीगण खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी हैं यद्यपि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा निस्पादित बटवारानामाओं प्रदर्श 9 उसके अनुसार प्रतिवादी सं. 1 द्वारा चक 79 आरबी बी मु.नं. 26,27,31 में से 8.173 है. भूमि में से दिनांक 12.11.2012 से 7 बीघा 10 बिस्वा व अपनी लड़की के बच्चों की शादी के भात भरने के पश्चात 2 बीघा 10 बिस्वा इसके अतिरिक्त यानि कुल 10 बीघा भूमि वादीगण को बेहस्से में से देने की सहमति प्रकट की है अतः यह तनकी बहस वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (3) आया कि उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 की स्वःअर्जित भूमि है । वादीगण का हक व हिस्सा नहीं बनता है ?

उक्त विवादित सम्पति में से 1.012 है. भूमि स्वअर्जित सम्पति की श्रेणी में आती है इसका विस्तार से उल्लेख तनकी सं. 2 किया जा चुका है तनकी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है

तनकी संख्या (4) आया कि वादीगण के पिता व पति श्री विजयसिहं पूर्व में अपना हक हिस्सा प्राप्त कर चुका है ? –प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था लेकिन पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्य से ऐसा कोई दस्तावेज /साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि विजयसिहं अपने जीवनकाल में अपना हक हिस्सा प्राप्त कर चुका था । इस तनकी का सिद्व करने में प्रतिवादीगण असफल रहे है अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (5).आया कि वादीगण अपना हक व हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी नहीं है। वाद पत्र खारिज किया जावे ? –प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादी इसे सिद्व करने में असफल रहे है। प्रतिवादी सं. 1 जरिये बंटवारानामा दिनांक 12.11.2012 , 10बीघा भूमि देने में सहमति प्रकट की है। जिसका उल्लेख तनकी नं. 2 में किया गया है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

1. अतः उपर्युक्त विवेचन [illegible] वादिया अंतर्गत धारा 53–88–92 ए–53–188 राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible] बाबत राजस्व ग्राम चक 79 आर बी बी तहसील राय[illegible] 26 प.[illegible] 216/277 में 1.594है. नहरी व मु.न. 27 प.न. 217/277 [illegible] 6.325है. नहरी [illegible] वा मु.न. 31 प.न. 221/277 में 0.379 है. नहरी [illegible] तादादी 8.1[illegible] में वादीगण का 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर घोषित किया जाता है। [illegible]करण में 0.740 हैक्टेयर भूमि की निर्धारित डी.एल.सी. दर के अनुसार राजस्व [illegible]नि की गणना कर, राशि राजकोष में

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]सिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.08.22 12:28:58 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

जमा करवाई जाकर तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

(सुभाष चन्द (आर.ए.एस.))
सहायक उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुभाष चन्द (आर.ए.एस.))
सहायक उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.08.22 12:28:58 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner